

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि :- 24.11.2016

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन बी०आई०टी० सिन्दरी में सह प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. **पद का नाम :- सह प्राध्यापक, बी०आई०टी०, सिन्दरी**
2. **वेतनमान :- 37,400-67,000 + ग्रेड पे- Grade Pay with AGP-9000**
3. **परीक्ष्यमान अवधि :- 2 वर्ष**
4. **रिक्तियों का विवरण :-**

क्र. सं.	विज्ञापन सं०	संकाय का नाम	अनारक्षित	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -I	पिछड़ा वर्ग -II	कुल रिक्तियाँ	अर्हता	अनुभव
1.	29/2016	यांत्रिक अभियंत्रण	06	02	02	01	01	12	प्रासंगिक शाखा में बीई/बीटेक और एमई/एमटेक जिसमें बी०ई/बीटेक अथवा एमई/एमटेक में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो। तथा उपयुक्त विषयक्षेत्र में पीएच०डी० अथवा समकक्ष	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव जिसमें से 2 वर्षीय पोस्ट पीएच०डी० अनुभव वांछनीय है।
2.	30/2016	विद्युत अभियंत्रण	04	01	02	00	01	08		
3.	31/2016	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियंत्रण	01	00	00	01	00	02		
4.	32/2016	असैनिक अभियंत्रण	04	01	02	01	00	08		
5.	33/2016	धातु अभियंत्रण	03	01	01	01	00	06		
6.	34/2016	रसायनिक अभियंत्रण	04	01	01	01	00	07		
7.	35/2016	खनन अभियंत्रण	01	00	01	00	00	02		
8.	36/2016	सूचना तकनीकी	01	00	01	00	00	02		
9.	37/2016	एम०बी०ए०	01	00	00	00	00	01	प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ व्यवसाय प्रशासन में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष और दो वर्ष का प्रासंगिक अनुभव वांछनीय है। तथा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पीएच०डी० अथवा समकक्ष पोस्ट पीएच०डी प्रकाशन तथा पीएच०डी छात्रों को गाइड करना अत्यन्त वांछनीय।	

टिप्पणी :-

- (i) पी०एच०डी० की समकक्षता 5 अंतरराष्ट्रीय जर्नल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक जर्नल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।

श्री १०८ वीं संसदीय सत्र

संसदीय सत्र - १९७०

संज्ञा

श्री १०८ वीं संसदीय सत्र - १९७०

यदि कोई संसदीय सत्र १९७० के अंत में समाप्त हो गया है तो यह संसदीय सत्र १९७० के अंत में समाप्त हो गया है।

१. संसदीय सत्र - १९७० के अंत में समाप्त हो गया है।
२. संसदीय सत्र - १९७० के अंत में समाप्त हो गया है।
३. संसदीय सत्र - १९७० के अंत में समाप्त हो गया है।
४. संसदीय सत्र - १९७० के अंत में समाप्त हो गया है।

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का पता	व्यक्ति का जन्म तिथि	व्यक्ति का पेशे	व्यक्ति का शिक्षा	व्यक्ति का धर्म	व्यक्ति का राज्या	व्यक्ति का संसदीय सत्र
१	श्री १०८ वीं संसदीय सत्र							
२	श्री १०८ वीं संसदीय सत्र							
३	श्री १०८ वीं संसदीय सत्र							
४	श्री १०८ वीं संसदीय सत्र							
५	श्री १०८ वीं संसदीय सत्र							
६	श्री १०८ वीं संसदीय सत्र							
७	श्री १०८ वीं संसदीय सत्र							
८	श्री १०८ वीं संसदीय सत्र							
९	श्री १०८ वीं संसदीय सत्र							
१०	श्री १०८ वीं संसदीय सत्र							

(संज्ञा)

यदि कोई संसदीय सत्र १९७० के अंत में समाप्त हो गया है तो यह संसदीय सत्र १९७० के अंत में समाप्त हो गया है।

- (ii) पी0एच0डी0 एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
- (iii) सहायक प्राध्यापक के पदधारी के लिए, सहायक प्राध्यापक के स्तर पर अनुभव पर सह प्राध्यापक के स्तर के अनुभव के समकक्ष विचार किया जाएगा, बशर्ते कि पदधारी सहायक प्राध्यापक ने प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पी0एच0डी0 डिग्री हासिल कर ली हो अथवा वह हासिल करता है।
- (iv) डिप्लोमा संस्थाओं के अनुभव पर डिग्री संस्थाओं में अनुभव के समकक्ष उपयुक्त स्तर पर तथा यथा लागू अनुसार भी विचार किया जाएगा तथापि, उपर्युक्त अर्हताएं अनिवार्य होगी।
- (v) यदि कोई वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है, योग के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम/वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया गया है तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंको में संपरिवर्तित किया जाएगा :-

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

5. **उम्र गणना की तिथि:-** परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के उम्र एवं अनुभव की गणना की तिथि **01.08.2015** होगी। सभी कोटियों के लिए न्यूनतम आयु 34 वर्ष एवं अधिकतम आयु 57 वर्ष होगी।
6. **चयन का आधार :-** विज्ञापन संख्या-29/2016 से विज्ञापन संख्या-37/2016 तक के लिए निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जायेगा जिसके लिए अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :-

Name of Post	Academic Records and Research Performance (20%)	Research Performance and Quality of Publications (40%)	Assessment of Domain Knowledge and teaching Skills (20%)	Interview performance (20%)
Associate Professor (Engg. College)	BE/BTech/MA/MSc : 10 1 for every 2% after 60% (MA/MSc for Humanities and Science)	Research Guidance : Max 5 (Points per scholar / group) PhD -2.5 / ME-1 / BE 0.5 / Dip - 0.25)	STTP / Wksp / Meets participation Max 5 For 2 week 1 each For 1 week 0.5 each For 2 days 0.25 each	
	ME/MTech/MPhil : 5 0.5 for every 2% after 60% (MPhil for Humanities and Science) PhD : 5	Research / Book Pub Max 10 Int. Referred Journals with ISSN No. -2 / Pub. Non-referred but recognized and reputable Journals and periodicals with ISBN/ISSN Number- 1/Publication. Text Reference Books Published by International Publishers with an established peer review system By sole author -1/Chapter In edited books - 0.5/Chapter Subject Books by National/State level publishers and Central Government. Publications with ISBN/ISSN Numbers - By sole author - 0.5/Chapter In edited books - 0.2/Chapter Subject Books by other local publishers with ISBN/ISSN Number - By sole author - 0.5/Chapter In edited books - 0.25/Chapter	Papers in Conference etc Max 5 Int. Con with full paper publication 2 each National Con full paper publication 1 each State Con full paper publication 0.5 each	

- (i) ...
- (ii) ...
- (iii) ...
- (iv) ...

...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

- ...
- ...

...
...
...
...
...
...

	Chapters contribution to edited knowledge based volumes (Published by International Publishers) -1/ Chapter Chapters in knowledge based volumes published by Indian/ National level Publishers with ISBN/ISSN Numbers and with numbers of National and International directories- 0.5/Chapter		
	Projects Max 5 Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 30.0 Lakh Each Project -5 Major Projects amount mobilized with grants above Rs. 5 Lakh up to 30.0 Lakh Project - 4 Minor projects (amount mobilized with grants above Rs. 50,000 up to 5 Lakh) Project - 2	Membership Professional Bodies Max 3 International bodies 1 National bodies 0.5	
	Patents / Policy documents Max 5 Minor policy documents of Government. Bodies at Central and State level Patent/Technology transfer/Product/Process for Each Output/Patent of National level 2.5 per	Membership of Board of Studies (inhouse) Max 2 University / SBTE 1 College / Inst 0.5	
	Consultancy Max 5 Major consultancy for above Rs. 30.0 Lakh payment received - 5 Major consultancy for 5 Lakh up to 30.0 Lakh payment received - 4 Major consultancy for Rs. 50,000 up to 5 Lakh payment received - 2	Membership of Board of Studies (outside) Max 2 Other Univ / Board 1 Other College / Inst 0.5	
	Invited/ Keynote Address in Conference / Seminar / Symposia Max 5 International 2.5 National 1.0 State Level 0.5	Membership of Editorial / Reviewer Panel of Journals Max 3 International Journals 1 National Journals 0.5	
	Awards / Facilitations / Distinctions Max 5 Padma / Fellowship/Award of International Repute level 5 Fellowship / Facilitation at state level 2.5		

नोट :- मेधा का आकलन 100 अंकों के आधार पर किया जायेगा।

7. मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.2012 के आलोक में निम्नवत् होगा :-
- | | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| सामान्य वर्ग | - | 40% |
| पिछड़ा वर्ग -II | - | 36.5% |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I | - | 34% |
| अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग | - | 32% |
8. आयोग नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया "Jharkhand Public Service Commission, Rules of Procedure 2002 के अंतर्गत Recruitment by Selection" के अधीन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
9. आरक्षण :-
- आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
 - झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

- (iii) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत सक्षम पदाधिकारी अर्थात् उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र संख्या तथा जारी करने की तिथि का विवरण आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (iv) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु वैध जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।
- (v) साक्षात्कार के समय आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. (i) **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

11. प्रविष्टि :

- (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210 X 297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट-www.jpsc.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- (iii) आवेदन-पत्र में रिक्त आयतों का समुचित तरीके से इस प्रकार भरें जैसे :-

- (i) आवेदन में देवनागरी लिपि में नाम. यथा; सचिन कुमार. इस प्रकार भरा जाय -

स	चि	न		कु	मा	र		
---	----	---	--	----	----	---	--	--

- (ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें यथा - AMIT KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :-

A	M	I	T		K	U	M	A	R		R	A	M		
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--

- (iii) उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।
- (v) आवेदक "शैक्षणिक योग्यता" के अधीन 'प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।
- (vi) आवेदक अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सकें।
- (vii) यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा उसे क्रॉस (x) कर दें।

12. फोटोग्राफ :-

आवेदन पत्र पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

13. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :-

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :-
- 1) आयु संबंधी मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
 - 2) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
 - 3) स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
 - 4) पीएच.डी. प्रमाण पत्र,
 - 5) अनुभव प्रमाण पत्र,
 - 6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II को आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवश्यक वैध जाति प्रमाण पत्र
 - 7) विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- (ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भज रहें हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं० एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।

14. परीक्षा शुल्क :-

- (i) सामान्य/अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में रुपये 600/- (छह सौ) मात्र + बैंक चार्ज रुपये 50/- (पचास) मात्र तथा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रुपये 150/- (एक सौ पचास) मात्र + बैंक चार्ज रुपये 50/- (पचास) मात्र देय होगा। परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या-35231071548 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। उक्त चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpssc.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। चालान की एक मूल प्रति (JPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।
- (ii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट हेतु न्यूनतम अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (iii) विकलांग (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

15. अन्य :-

- (i) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अलग-अलग विज्ञापन संख्या के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- (ii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iii) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (iv) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (v) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. अंतिम तिथि :-

- (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों-हाथ से इस प्रकार भेजे कि दिनांक-25.10.2016 से दिनांक-24.11.2016 को अपराह्न 5:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

ह0/-
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

